न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–17/2023

प्रसंगः– रामचन्द्र दुसाद – बनाम – जोगेश्वर राम

आदेश

20/09/2024

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक– 17/विधि दिनांक – 05/01/2024 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदिका रामचन्द्र दुसाद, पिता खुसरू दुसाद, ग्राम बिन्डोमोह, पोस्ट नवलशाही, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् मौजा बिन्डोमोह, थाना नं0–103, खाता नं0–30, प्लॉट नं0–456, रकवा –08 डी0 मधे बिक्री रकवा–0.75 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

तत् आलोक में अचल अधिकारी, डोमचांच का पत्रांक–619 दिनांक–01.06.2023 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक से उनका जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ आवेदक से उनके पास उपलब्ध भूमि का विवरण संबंधित कागजात एवं आवेदक के अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ती से संबंधित कागजात की मांग की गयी, लेकिन आवेदक से काई मांग करने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराया गया। द्वितीय पक्ष (क्रेता) में भी उनके पास उपलब्ध भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गयी, लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पक्ष द्वारा मामले में अभिरूची नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट प्रतिवेदन देना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, डोमचांच का प्रतिवेदन के आधार पर मौजा बिन्डोमोह, थाना नं0–103, खाता नं0–30, प्लॉट नं0–456, रकवा –08 डी0 मधे बिक्री रकवा–0.75 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/9/24

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

20/9/24

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2025.01.10 20:31:57 +05:30
Location: 192.168.31.74

CamScanner